

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना

दारोगा राय पथ, रोड नं०-02, आर० ब्लॉक०,
पटना-800001

e-mail- support.wdc@bihar.gov.in Ph :- 0612 - 2506078/2506068

पत्रांक WDC/2421/25

दिनांक 26/09/2025

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय : महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत संचालित केन्द्र संपोषित योजना मिशन शक्ति के अंतर्गत संचालित वन स्टॉप सेंटर में संविदा आधारित रिक्त पदों पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत संचालित केन्द्र संपोषित योजना मिशन शक्ति के अंतर्गत संचालित वन स्टॉप सेंटर में अतिरिक्त 15 जिलों में संविदा आधारित रिक्त पदों पर नियोजन किया जाना है। प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन की सॉफ्ट कॉपी पत्र के साथ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन सूचना को अविलंब निम्न अखबारों में प्रकाशन करने की कृपा करेंगे :-

1. Times of India, New Delhi, Patna
2. Hindustan, Dainik Jagaran, Prabhat Khabr All Bihar edition

विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त, संबंधित समाचार पत्रों की प्रति के साथ विभाग द्वारा सत्यापित विपत्र भुगतान के लिए महिला एवं बाल विकास निगम को भेजने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन,

प्रशासी पदाधिकारी,
महिला एवं बाल विकास निगम,
पटना।

अनुलग्नक : यथोक्त।

ज्ञापक WDC/2421/25 दिनांक 26/09/2025

प्रति : 1. प्रबंध निदेशक, म० एवं बा० वि० नि० प्रकोष्ठ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ।

प्रशासी पदाधिकारी,
महिला एवं बाल विकास निगम,
पटना।



महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार।

(समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार)

दारोगा राय पथ, आर० ब्लॉक०, रोड नं०-०२

पटना-८००००१

e-mail- support.wdc@bihar.gov.in, Ph :- 0612-2506078 / 0612-2506068

वेबसाइट : <https://wcdc.bihar.gov.in/>

विज्ञापन सूचना-०७ (२०२५-२६)

महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत संचालित मिशन शक्ति योजना अंतर्गत पंद्रह नये वन स्टॉप सेंटर (पटना, समस्तीपुर, सारण, दरभंगा, वैशाली, सीतामढ़ी, सिवान, भागलपुर, बेगूसराय, नालंदा, अररिया, भोजपुर, गोपालगंज, सुपौल तथा नवादा) के लिये संविदा आधारित निम्न रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र	पदनाम	कोटिवार रिक्ति							कुल रिक्ति
		UR	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	
1	केन्द्र प्रशासक (Central Administrator) (महिलाओं के लिये आरक्षित)	7	2	0	3	2	0	1	15 (प्रति जिला-०१)
2	केस वर्कर (Case Worker) (महिलाओं के लिये आरक्षित)	11	5	1	5	4	1	3	30 (प्रति जिला-०२)
3	पारा लीगल पर्सनल/ लॉयर (Para Legal Personnel/ Lawyer)	7	2	0	3	2	0	1	15 (प्रति जिला-०१)
4	पारा मेडिकल पर्सनल (Para Medical Personnel) (महिलाओं के लिये आरक्षित)	7	2	0	3	2	0	1	15 (प्रति जिला-०१)
5	मनो-सामाजिक परामर्शी (Psycho-social Counsellor) (महिलाओं के लिये आरक्षित)	7	2	0	3	2	0	1	15 (प्रति जिला-०१)
6	कम्प्यूटर ज्ञानयुक्त कार्यालय सहायक (Office Assistant with computer knowledge)	7	2	0	3	2	0	1	15 (प्रति जिला-०१)
7	बहुउद्देशीय कर्मी/रसोईया (Multi-purpose Staff / Cook)	19	7	1	8	5	1	4	45 (प्रति जिला-०३)
8	सुरक्षा कर्मी/रात्रि प्रहरी (Security Guard/ Night Guard)	19	7	1	8	5	1	4	45 (प्रति जिला-०३)
कुल रिक्त पदों की संख्या		84	29	03	36	24	03	16	195

वर्णित पदों पर नियोजन से संबंधित विस्तृत विवरणी, पात्रता, आवेदन करने की तिथि एवं अन्य मानदंडों, की सूचना महिला एवं बाल विकास निगम के आधिकारिक वेबसाइट <https://wcdc.bihar.gov.in/> पर अवलोकन किया जा सकता है।

प्रशासी पदाधिकारी

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार।

ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश :

1. आवेदन भरने एवं अन्य विवरण प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट <https://wcde.bihar.gov.in/> देखा जा सकता है। आवेदन हेतु लिंक दिनांक 06/10/2025 को 10.00 बजे पूर्वाह्न से खुलेगा।
2. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे।
3. ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27/10/2025 शाम 06.00 बजे तक निर्धारित है। इस तिथि तथा समय के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
4. उम्मीदवारों से अनुरोध है कि नियोजन से सम्बंधित आवश्यक अपडेट एवं अन्य सूचनाओं/घोषणाओं के लिए नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करते रहे।
5. विज्ञापित पदों हेतु पदवार शैक्षणिक अहर्ता तथा कार्यअनुभव निम्न हैं -

क्र. स	पद नाम	शैक्षणिक अहर्ता	कार्य अनुभव तथा प्राथमिकता
1	केंद्र प्रशासक (महिलाओं हेतु आरक्षित)	कानून/ समाज कार्य/ समाज शास्त्र/मनोविज्ञान/ समाज विज्ञान में स्नातकोत्तर।	महिलाओं के मुद्दों से सम्बंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना/ कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव। प्राथमिकता :-महिलाओं के मुद्दों से सम्बंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना/ कार्यक्रम में परामर्शी के रूप में एक वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2	केस वर्कर (महिलाओं हेतु आरक्षित)	कानून/ समाज कार्य/ समाज शास्त्र/मनोविज्ञान/ समाज विज्ञान में स्नातक।	महिलाओं के मुद्दों से सम्बंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना/ कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। प्राथमिकता :-स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
3	पारा लीगल पर्सनल /लॉयर	कानून में स्नातक के साथ महिलाओं से	महिलाओं से सम्बंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना/ कार्यक्रम

		सम्बंधित कानून में प्रशिक्षित या महिलाओं से सम्बंधित कानून की जानकारी	में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव या न्यायालय में मुकदमे के पैरवी करने का 2 वर्ष का अनुभव। प्राथमिकता :-
4	पारा मेडिकल पर्सनेल (महिलाओं हेतु आरक्षित)	पैरामेडिक्स में प्रोफेशनल डिग्री/ डिप्लोमा।	सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य से सम्बंधित परियोजना/ कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।
5	मनो सामाजिक परामर्शी (महिलाओं हेतु आरक्षित)	मनोविज्ञान/ तंत्रिका विज्ञान (न्यूरो साइंस) में स्नातक।	महिला स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकारी या गैर सरकारी परियोजना/ कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।
6	कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक	स्नातक सहित कंप्यूटर/ आई. टी में डिप्लोमा।	डाटा प्रबंधन, दस्तावेजीकरण तथा वेब आधारित रिपोर्टिंग, विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि का राज्य या जिला स्तर पर सरकारी या गैर सरकारी/ आई. टी संस्थान में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।
7	बहुउद्देशीय कर्मी/ रसोईया	साक्षर	सम्बंधित क्षेत्र में कार्य करने का ज्ञान(अनुभव) प्राथमिकता :- मैट्रिक या समतुल्य परीक्षा पास अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
8	सुरक्षा प्रहरी/ रात्रि प्रहरी	मैट्रिक	सरकारी या प्रतिष्ठित संगठन में जिला या राज्य स्तर पर कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव। प्राथमिकता :- सेना या अर्द्ध सैनिक बल से सेवानिवृत्त कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

6. उक्त भर्ती/ नियोजन में बिहार सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत/ तय की गई आरक्षण नीति (क्षैतिज आरक्षण सहित) लागू होगी।

i. ऑनलाइन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय

नहीं होगी एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या -70 दिनांक 11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को ही देय होगी। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

- ii. आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन के सम्बंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
- iii. ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।
- iv. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। सम्बंधित मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार में बुलाये जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- v. पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य हैं, जिसकी निर्गत संख्या तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवासी प्रमाण पत्र मूल में साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- vi. आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण से सम्बंधित प्रमाण पत्र की निर्गत संख्या तथा निर्गत होने की तिथि, आवेदन पत्र के सम्बंधित कॉलम में दर्ज करना अनिवार्य होगा।

- vii. सभी प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि या उसके पूर्व का होना अनिवार्य हैं।
 - viii. क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से एक वर्ष से पूर्व के होने की स्थिति में, उक्त आशय से सम्बंधित शपथ पत्र देना आवश्यक होगा।
 - ix. आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/ क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।
 - x. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का दावा करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना अनिवार्य हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र भी समर्पित करना अनिवार्य हैं, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी, परन्तु राज्य के बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।
 - xi. अभ्यर्थी हाल का अपना एक फोटो तथा हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट हैं।
7. उम्र सीमा - संविदा आधारित उक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना, आवेदन प्रकाशन की तिथि से होगी -
- विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा निम्न होगी -
- i. अनारक्षित वर्ग (पुरुष)- 37 वर्ष
 - ii. अनारक्षित वर्ग (महिला)- 40 वर्ष
 - iii. पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग- (पुरुष/ महिला)- 40 वर्ष
 - iv. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष/ महिला)- 42 वर्ष
8. कॉउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन के आधार पर अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त अंको का सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन में गलत दावा कर अंक प्राप्त किए जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता को रद्द किये जाने का अधिकार

महिला एवं बाल विकास निगम के पास सुरक्षित रहेगा। ऑनलाइन आवेदन में अपने प्रमाण पत्र के संबंध में अभ्यर्थियों के द्वारा गलत सूचना दिये जाने की स्थिति में जांचोपरांत, उनकी अभ्यर्थिता को रद्द करते हुए उनपर आवश्यक कानूनी कार्यवाई निगम के द्वारा की जाएगी।

9. अभ्यर्थियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज यथा - शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/ शैक्षणिक अंक, कार्यानुभव प्रमाणपत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्र, पहचान पत्र (आधार कार्ड/ पैनकार्ड/ डाइविंग लाइसेंस/ वोटर कार्ड) की मूल प्रति एवं उसकी छाया-प्रति को स्वअभिप्रमाणित करते हुए कॉउंसलिंग/ साक्षात्कार के समय निश्चित रूप से लाएंगे। सत्यापन के बाद मूल प्रमाणपत्र की प्रति अभ्यर्थियों को वापस लौटा दी जाएगी।
10. महिला एवं बाल विकास निगम बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी स्तर पर इस भर्ती प्रक्रिया के तहत रिक्त पदों से सम्बंधित विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
11. एक वर्ष के लिए प्रारंभ में तीन माह के प्रोबेशन अवधि के साथ नियोजन किया जायेगा। प्रोबेशन अवधि के संतोषजनक होने के उपरांत शेष अवधि के लिए सेवा विस्तार किया जायेगा। संविदा के आधार पर चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के लिए अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। संविदा के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
12. संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूणतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी सूचना के या 15 दिन के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है।
13. नियोजन के उपरांत अनुबंध की अवधि का नवीनीकरण/सेवा विस्तार कर्मचारी के कार्य प्रदर्शन के आधार पर उनके कार्य मूल्यांकन के उपरांत किया जायेगा। नियोजित होने के उपरांत कर्मी पार्ट टाइम/ फुल टाइम किसी अन्य कार्यालय/ संस्थान में कार्य नहीं करेंगे।
14. विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के पूर्व का वांछित कार्यानुभव प्रमाण -पत्र ही मान्य होंगे। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के बाद का कार्यानुभव प्रमाण -पत्र किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा।
15. अभ्यर्थी ऑनलाइन सबमिट किये गये आवेदन की प्रिंट ले कर, सबमिट सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निबंधित डाक से आवेदन करने के 10 दिनों के भीतर निगम मुख्यालय को निम्न पता पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे-

महिला एवं बाल विकास निगम
खाद्य भवन रोड,
2, दरोगा प्रसाद राय पथ,
वीरचंद पटेल रोड एरिया
आर. ब्लॉक, रोड न.-2
पटना, बिहार - 800001

16. अभ्यर्थी निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने वाले आवेदन की प्रति तथा दस्तावेज़ से सम्बंधित लिफ़ाफ़े के ऊपर विज्ञापन संख्या तथा पद नाम का उल्लेख करेंगे।

17. मेधा सूची में सामान्य अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।

18. अंतिम रूप से नियोजन का निर्णय निगम द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर महिला एवं बाल विकास निगम को होगा।

नोट : केवल न्यूनतम पात्रता मानदंडों को स्वयं पूरा करने से कोई भी आवेदक आगे की चयन प्रक्रियाओं के लिए चयनित या आमंत्रित होने का हकदार नहीं होगा। अपनी पात्रता की पुष्टि करना आवेदक की जिम्मेवारी है।

महिला एवं बाल विकास निगम के पास भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदक के नियोजन अथवा विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।


प्रसाशी पदाधिकारी